राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार रतनगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— सरिता
मुकदमा नम्बर :— 02/2019

निर्णय दिनांक— 30/5/2019

सरकार
बनाम
श्री सत्यनारायण पुत्र दुर्गादत्त
जाति ब्राह्मण निवासी ठठावता तहसील रतनगढ़

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रश्नगत प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीरमसर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम ठठावता के खसरा नम्बर 474/70 तादादी 0.5817 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.006 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी सत्यनारायण पुत्र दुर्गादत्त जाति ब्राह्मण निवासी ठठावता तहसील रतनगढ़ ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बाड़ बनाकर रास्ता संकरा कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया है। अप्रार्थी नोटिस की प्रति मिलने के उपरांत भी उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट उचित प्रतीत होती है।

अतः अप्रार्थी सत्यनारायण पुत्र दुर्गादत्त जाति ब्राह्मण जाति ब्राह्मण निवासी ठठावता तहसील रतनगढ जिला चूरू को ग्राम ठठावता के खसरा नम्बर 474/70 तादादी 0.5817 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.006 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ बनाकर रास्ता संकरा करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। ग्राम ठठावता के शारहद पड़ता लगान 0.01 पैसा रूपये प्रति बीघा का 50 गुणा 20.00 रूपये मात्र) दण्ड स्वरूप तावान कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा मांग तावान रजिस्टर में वसूली हेतु अंकित करें एवं भू. अ. निरीक्षक रतनगढ़ व पटवारी हल्का बीरमसर को बेदखली व तावान वसूली हेतु आदेश दिया जाता है, पत्रावली निर्णयशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
रतनगढ़

तहसीलदार
रतनगढ़ (चूरू)

न्यायालय तहसीलदार
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner